

08.03.2018

पीठासीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/अभियुक्त नाहर सिंह द्वारा श्री आर. पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप0।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।

फरियादिया/राखी स्वयं उपस्थित।

पुलिस थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 38/18 अंतर्गत धारा-323, 376, 506 भा0दं0सं0 की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदक की ओर से सूची सहित दस्तावेज राखी के आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। नकल अभियोजन को दिलाई गई।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक नाहर सिंह भाई रामबिहारी के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। ऐसा ही केस डायरी से स्पष्ट है।

आवेदक नाहर सिंह के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसके विरुद्ध पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा गलत रूप से फरियादिया की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट न लिखते हुए झूठा अपराध पंजीबद्ध कर दिया है, कथित अपराध से उसका कोई संबंध व सरोकार नहीं है और न ही आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध है। फरियादिया ने आवेदक के विरुद्ध बलात्कार संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं की थी बल्कि पुलिस द्वारा गलत रूप से झूठा अपराध पंजीबद्ध कर आवेदक को जेल भेज दिया है। फरियादिया को आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 21.02.18 को रात्रि 11 बजे के लगभग

अभियुक्त/आवेदक नाहर सिंह के द्वारा फरियादिया राखी बाल्मीक के साथ उसकी मर्जी के बिना, बल पूर्वक बलात्कार किया गया है तथा डण्डे से मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट राखी के द्वारा दूसरे दिन दोपहर में थाना मालनपुर में की गई।

यद्यपि राखी की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए यह बताया है कि उसके जेठ के द्वारा उसके साथ कोई बलात्कार नहीं किया गया है और जमानत दिए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। धारा-164 दं०प्र०सं० के कथन में भी यह तथ्य आए हैं कि नाहर सिंह के द्वारा उसके साथ कोई बलात्कार नहीं किया गया है। परंतु जमानत के इस स्तर पर राजीनामे और गुणदोषों पर विचार नहीं किया जा सकता। अभियोजन के अनुसार नाहर सिंह के द्वारा राखी के साथ बलात्कार किया गया है। अतः मामले के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप आवेदक नाहर सिंह का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस भेजी जावे।

नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)